क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

संदर्भ संख्याः– दिनांकः–

Ref.No.:GO 798 **/O.A. No. 176/2024** **Date:** 16.08.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- **Submission of response on behalf of respondent no.5, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow with Joint Committee report in pursuant to order dated 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 176/2024 Ajeet Kumar Gupta Versus State of U.P. & Ors.**

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 10.05.2024 in the matter of O.A. No. 176/2024 Ajeet Kumar Gupta Versus State of U.P. & Ors., the response of Respondent no.5, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow with Joint Committee report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid response cum Joint Committee report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours faithfully,

Encl.: As above.

16/08/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-

1. District Magistrate, Sonbhadra for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO- 176/ 2024

IN THE MATTER OF:

Ajeet Kumar Gupta Applicant

Versus

State of UP & Ors. Respondent

Order Date- 10.05.2024
Next Listing- 23.08.2024

RESPONSE ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH STATE POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 10.05.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL APPLICATION NO. 176 OF 2024 IN THE MATTER OF AJEET KUMAR GUPTA VERSUS STATE OF UP & ORS.

That this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 10.05.2024 in Original Application No. 176 of 2024 in the matter of Ajeet Kumar Gupta versus State of UP & Ors, instructed the following:-

"4……..we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2)

Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, (3) Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh, (4) Divisional Forest Officer, Sonbhadra, (5) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (6) District Magistrate, Sonbhadra who stand impleaded as respondents No. 1 to 6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 through email requiring them to file their reply/response.

5……..we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Reply/response by respondents no. 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List the matter for further consideration on 23.08.2024……"

Response-

1. Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra as representative of Uttar Pradesh State Pollution Control Board has participated in spot visit with the joint committee members. The joint committee report dated-16.08.2024 is attached herewith as **Annexure-1.**
2. As per the joint committee report, the relevant part about to conclusion / suggestions are as below:-

   "…..Spot-Memo prepared based on ground inspection in the presence of joint committee members and other staff as well as applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta. Boating activity in reservoir, construction activity of Restaurant, evidence about to tree cutting near bank of reservoir, dead body of animals were not found during site visit as per field observations. For past violation about to tree cutting and widening of road in forest area, action has been initiated against defaulters by forest department as per law. Hence, the suggestion of the joint committee is as follows: -

   a) No development activity should be done by Nagar Panchayat-Pipri without prior permission under the Forest conservation Act 1980 from Forest Department.

Therefore, the above response on behalf of the Uttar Pradesh State Pollution Control Board as respondent no. 5 cum Joint Committee Report is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

16/08/2024

(**U.K. Gupta**)
Regional Officer,
U.P. Pollution Control Board
Sonbhadra.

Annexure No.1

Joint Committee Report in pursuant to order dated 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 176/2024 Ajeet Kumar Gupta Versus State of UP & Ors.

---

1. Hon'ble NGT vide its Order 10.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 176/2024 Ajeet Kumar Gupta Versus State of UP & Ors., instructed the following:-

   "5………we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

   6. Reply/response by respondents no. 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

   7. List the matter for further consideration on 23.08.2024……"

2. In order to above, the following members have been nominated by the concerned departments for the said committee:-

   a. Shri Shadeo Kumar Mishra, ADM (F/R), Sonbhadra nominated by the District Magistrate, Sonbhdra.

b. Shri Bhanendra Singh, Divisional Forest Officer, Renukoot Forest Division, Renukoot, Sonbhadra Nominated by the Additional Principal Secretory Department of Environment, Forest and climate change, Government of U.P.

c. Shri Kunj Mohan Verma, Divisional Forest Officer 'DFO', Sonbhadra.

d. Shri Sushil Kumar Singh, Executive Engineer, Rihand Dam Civil Division Pipri, Sonbhadra.

e. Shri Umesh Kumar Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra nominated by the Member Secretory, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

3. That the relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicants is reproduced as follows:-

"..........विषय–डोंगिया जलाशय पिपरी सोनभद्र के रिजर्व फारेस्ट में नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन तथा E.O. (Executive Officer) द्वारा जंगलों को कटवा कर अवैध कब्जा करने तथा वन, वन्यजीवों एवं जलीय जंतुओं के जीवन को उत्पन्न आसन्न संकट विषयक।

महोदय,

निवेदन है कि डोंगिया जलाशय पिपरी, सोनभद्र का सम्पूर्ण हिस्सा रिजर्व फारेस्ट में आता है तथा यहाँ घना जंगल है, जिसमें हिरण, तेंदुआ, साही, भेड़िया, मोर, लंगूर, बंदर तथा अन्य जंगली जानवरों का निवास स्थान है तथा डोंगिया जलाशय के जल में मगरमच्छों का निवास है तथा पानी के बीच स्थित टापू पर मगरमच्छों का मिलन स्थल (Basking site) है। इस जगह पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा E.O. (Executive Officer) द्वारा अपने लोगों के साथ मिलकर रिजर्व फारेस्ट के जंगल को चोरी छिपे कटवा कर स्वयं तथा अपने भाईयों और सम्बधियों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वन विभाग की कुछ जमीन पर नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष द्वारा अवैध कब्जा करके गौशाला का निर्माण भी किया गया है। वहाँ कई जगहों पर इनके भाइयों, मित्रों तथा रिश्तेदारों तथा सगे संबंधियों को भी इन्होंने कब्जा करवाया है, जिसके लिए इनके ऊपर कई बार वन विभाग ने मुकदमा भी दर्ज कराया है। वर्तमान समय में नगर पंचायत पिपरी अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह, कार्यकारी अधिकारी तथा इनके साथ के लोग मिलकर वन विभाग के रिजर्व फॉरेस्ट में स्थित डोंगिया जलाशय तक जाने के लिए पेड़ों को काटकर सड़क चौड़ा कर रहे हैं तथा डोंगिया जलाशय पर कब्जा करके वहां पर व्यक्तिगत बोटिंग स्थापित करना चाहते हैं।, तथा साथ ही साथ पानी के बीच स्थित एक टापू पर, जो घने

जंगलों से आच्छादित है पर भी पेड़ों की कटाई करवा के अवैध कब्जा कर रेस्टोरेंट खोलने की कवायद चल रही है। इसके लिए अपने लोगों को भी रिजर्व फारेस्ट में अवैध रूप से बसाने हेतु जंगलों की कटाई इन लोगों द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए वन विभाग पिपरी ने उनके ऊपर कार्यवाही भी किया है, लेकिन वन विभाग द्वारा किये जा रहे किसी भी कार्यवाही का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। क्योंकि नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह स्वयं को जंगल का राजा व भूमाफिया कहते हैं और एक दबंग प्रकार के व्यक्ति हैं। उनके इस प्रकार के क्रिया कलापों से वन, वन्यजीवों, जल–जीवों तथा मानव जीवन को को भी खतरा है। वहाँ आये दिन अवैध कब्जे को लेकर जंगलों की अवैध कटाई होती रहती है तथा वन्य जीवों का शिकार भी किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े मगरमच्छ को मार कर बड़े ही बेरहमी से उसका सिर, धड़ से अलग कर दिया गया जिसका पोस्टमार्टम वन विभाग पिपरी द्वारा कराया गया। इसके पूर्व शिकार कर के हिरण तथा मोर को भी मारा गया। इन सभी मृत जीवों की फोटो साथ में संलग्न है तथा इसका पूर्ण विवरण वन विभाग पिपरी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वहाँ (डोंगिया जलाशय पिपरी) पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास जारी है तथा पानी के बीच स्थित उक्त टापू पर, जो मगरमच्छों का बास्किंग साइट है पर रेस्टोरेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन तथा वन विभाग पर ऊपर से (शासन तथा सरकार को भ्रमित कर के तथा गलत सूचना के आधार पर) दबाव डलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही डोंगिया जलाशय, रिहंद डैम काफी संवेदनशील एरिया है तथा काफी गहरा है।

वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर्यटन को बढ़ावा हेतु नौका संचालन कर रही संस्था ने भी 3 माह पूर्व ही लिखित रूप से जिला पर्यटन अधिकारी सोनभद्र को, वहाँ (डोंगिया जलाशय पिपरी में) किसी भी पर्यटन सम्बंधी क्रिया कलाप को न करने सम्बंधी अपना सुझाव/रिपोर्ट दिया था, जिसकी कापी साथ में संलग्न है,। उक्त संस्था द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र ने नौका संचालन तुरंत बंद करा दिया। वन विभाग पिपरी ने वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा को लेकर नगर पंचायत पिपरी के वर्तमान चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह, उनके भाई, मित्रों सम्बन्धियों तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर FIR भी किया है तथा केस भी काटा है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

FIR No.–155/2019

Sections (धाराएं) –

1:- 5/26 of IFA-1927

2:- 3(2) of FCA 1980

3:- 27, 29, 39 D, Sec. of WLPA 1972

4:- 3(2) S. of Public Property 19845:- Sec. 447 of IPC

अभियुक्त

1:– अनिल सिंह पुत्र आर०पी० सिंह

2:– दिग्विजय सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह

आरोप पत्र संख्या–A-158 11/09/2019

मुकदमा संख्या– 6001/2020)

CJM Court Sonbhadra

कुछ प्राप्त FIR की कापी साथ में संलग्न है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि डोंगिया जलाशय, रिहंद डेम का हिस्सा होने के कारण अति संवेदनशील है। उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा वन, वन्य जीवों, जल– जीवों, प्रकृति, पर्यावरण तथा मानव जीवन को उत्पन्न आसान संकट से बचाने हेतु वहाँ किसी भी प्रकार के पर्यटन संबंधित क्रियाकलापों तथा टापू पर नगर पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले रेस्टोरेंट को पूरी तरह से रोक देने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तथा साथ ही नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा उनके भाईयों, मित्रों तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा साथ ही जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग को भी वहाँ नौका विहार तथा किसी भी प्रकार के पर्यटन विकास के कार्यों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें, ताकि वन, वन्य जीव, जल जीव के साथ–साथ मानव जीवन, प्रकृति तथा पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके.........”

4. The Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit on 01.08.2024. Intimation letter has been issued to all concerning department by UPPCB vide letter dated 27.07.2024 (Annexure-A). The joint committee conducted the site visit on the date-01.08.2024 along with applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta.

5. The salient observations found during visit and recommendation made by the joint committee members are summarized as follows: -

I. Field Observations:

a) There was no ongoing boating activity was observed by the team on the ‘Dongia Reservoir’.

b) There was no construction of restaurant found by the team at the ‘Dongia Reservoir’.

c) There was no found any direct evidence of tree cutting near bank of 'Dongia Reservoir' during spot visit.

d) During the visit it was observed that earlier efforts were made to widen the road but at the time of visit, work found to be closed. Divisional Forest officer informed that legal action was taken against persons involved in road widening work after that work was stopped.

e) The structure of old cow shed was found situated approximate 500 meter away from bank of 'Dongia Reservoir 'in notified area of Nagar Panchyat Pipri-Sonbhadra.

f) There was no found animal dead body during ground inspection. However, Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the dead body of wild animal within forest area found in past and disposed after postmortem by veterinary officer.

II. Spot-Memo prepared based on ground inspection in the presence of joint committee members and other staff as well as applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta, which is attached herewith as Annexure-B.

III. Photographs of site visit are as follows: -

6. The Nagar Panchayat, Pipri Sonbhadra advertised a tender through daily news-paper for establishment of barricading, coloured cemented seating bench, iron mesh including other works as per record provided by forest division. However after objection by the forest department, Nagar Panchayat Pipari, Sonbhadra vide its letter dated 03.11.2023 informed that above mentioned work as construction / any other work is not going on and stopped per instruction of District Magistrate, Sonbhadra. Copy of letter dated-03.11.2023 is attached herewith as Annexure-C.
7. Divisional Forest officer Renukoot informed that said area was under the Class-B Forest, which was considered as a reserved forest in 1907. These type of land falls under the category of reserved forest under section of 20 A of Indian forest Act 1927. After that the said area was transferred to the forest department by the Revenue department in 1950 for the management by the order of Governor of Uttar Pradesh. Without considering the above facts a notification to constitute the Nagar Panchayat-Pipri was issued in 1958. Since to declare any old reserve forest to the reserved forest under section 20 of

Indian Forest Act 1927, it essential to notify the old reserve again under the section 4 of Indian Forest act 1927. Hence a notification was issued by the Governor of Uttar Pradesh to notify the said area under section 4 of Indian forest act 1927 in 1966. Right now, the matter is under proceeding of Forest settlement as per provisions of Indian Forest act 1927.

8. Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the matter about to widening work of the road within forest area came into light in past. For which, action had initiated against defaulters by concerning forest department as per law. (Annexure-D)
9. Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the dead body of female Cheetal within forest area near 'Dongia Reservoir' found on 14.04.2023 and disposed after postmortem by veterinary officer. As per postmortem report, the cause of death of the cheetal was found to be killed by a wild animal. (Annexure-E)
10. -Divisional Forest Officer 'DFO' Renukoot, Sonbhadra informed that the dead body of male Crocodile at bank of 'Dongia Reservoir' found on 11.10.2023 and disposed after postmortem by veterinary officer. (Annexure-F)

Conclusion / Recommendations / Suggestions:

Spot-Memo prepared based on ground inspection in the presence of joint committee members and other staff as well as applicant namely Shri Ajeet Kumar Gupta. Boating activity in reservoir, construction activity of Restaurant, evidence about to tree cutting near bank of reservoir, dead body of animals were not found

during site visit as per field observations. For past violation about to tree cutting and widening of road in forest area, action has been initiated against defaulters by forest department as per law. Hence, the suggestion of the joint committee is as follows: -

a) No development activity should be done by Nagar Panchayat-Pipri without prior permission under the Forest conservation Act 1980 from Forest Department.

The above Joint Committee report may be filed for kind information and consideration of this Committee.

	Name of the Committee members	Signature
1.	Shri Shadeo Kumar Mishra, ADM (F/R), Sonbhadra.	16/8/24
2.	Shri (Dr.) Bhanendra Singh, Divisional Forest Officer, Renukoot Forest Division, Sonbhadra.	16/08/24
3.	Shri Kunj Mohan Verma, Divisional Forest Officer ' DFO', Sonbhadra.	16.08.024
4.	Shri Sushil Kumar Singh, Executive Engineer, Rihand Dam Civil Division Pipri, Sonbhadra.	16/08/024
5.	Shri Umesh Kumar Gupta Regional Officer, UPPCB Sonbhadra.	16/08/2024
Dated: 16.08.2024		

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD SONBHADRA

संदर्भ संख्या / *Ref. No.* G 0751 / OA No. 176/2024 — दिनांकः 27.07.24

सेवा में,

प्रमुख सचिव महोदय,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः— मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0—176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक—10.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0—176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दि0—10.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करे, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं:—

"5....... we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Uttar Pradesh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Reply/response by respondents no. 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7. List the matter for further consideration on 23.08.2024....."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 सं0—176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित उपरोक्त आदेश दिनांक—10.05.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति के सदस्यो के रूप में राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक—एच 13496/सी—2/एन0जी0टी0—718/2024 दिनांक—03.07.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को नामित किया गया है। अग्रेतर उक्त पत्र के माध्यम से संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में अपने विभाग से सम्बन्धित प्रतिनिधि को नामित करने का अनुरोध किया गया है। प्रकरण में समिति के अन्य सदस्यों से दूरभाष पर वार्ता के उपरान्त स्थलीय जांच दिनांक—01.08.2024 को पूर्वाह्न 11:30 पर किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तावित स्थलीय जांच में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित प्रतिनिधि को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

27/07/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. जिलाधिकारी महोदय, सोनभद्र (उ0प्र0)।
2. अपर जिलाधिकारी (वि0—राजस्व), जनपद—सोनभद्र।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनूकुट/सोनभद्र, वन प्रभाग, सोनभद्र।
5. श्री अजीत कुमार गुप्ता, तुर्रा, पिपरी, जनपद—सोनभद्र को इस अपेक्षा के साथ प्रेषित कि संयुक्त समिति को जांच के समय अपेक्षित सहयोग करना चाहें।

27/07/2024
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure No.-B

स्पॉट मेमो

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA सं. 176/ 2024 अजीतकुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मे दि. 10/05/2024 को पारित आदेश के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय जाँच दि. 01/08/2024 को किया गया। जाँच के समय शिकायतकर्ता श्री अजीतकुमार गुप्ता उपस्थित थे। श्री अजीत कुमार गुप्ता से शिकायतीपत्र में अंकित बिन्दुओं के सम्बन्ध में वार्ता करते हुये स्थलीय जाँच की गई। मौके पर जलाशय पर नौका विहार सम्बन्धी गतिविधि बन्द पाई गई। सड़क चौड़ीकरण का कार्य मौके पर बन्द पाया गया। पूर्व में सड़क चौड़ीकरण कार्य के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन विभाग के स्तर विभागीय कार्यवाही किये जाने से अवगत कराया गया। मौके पर वृक्षों/पेड़ो का अवैध कटान/पतन नहीं पाया गया। जलाशय के मध्य स्थित टापू पर किसी प्रकार के रेस्टोरेंट का निर्माण कार्य मौके पर नहीं पाया गया। मौके पर गौशाला में गाय-पालन का कार्य बन्द पाया गया।

01/08/2024 (अजीतकुमारगुप्ता) शिकायतकर्ता/ आवेदक	01/08/2024 (यू०के०गुप्ता) क्षे०अधि० उ०प्र०प्र०नि०बोर्ड सोनभद्र	01/08/2024 (भानेन्द्र कुमार सिंह) प्रभागीय वनाधिकारी रेणुकूट	01/8/24 (सहदेव कुमार मिश्रा) अपरजिलाधिकारी (वि/रा०) सोनभद्र
1/8/24 (आशा देवी) उपप्रभागीय वनाधिकारी पीपरी, सोनभद्र	1/08/24. (राघवेन्द्र कुमार) क्षेत्रीय वनाधिकारि पिपरी रेन्ज, पिपरी		

कार्यालय नगर पंचायत पिपरी–सोनभद्र

पत्रांकः– 298(1)/न0पं0पि0/2023–24 दिनांकः– 03/11/2023

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सोनभद्र।

विषयः–नगर पंचायत पिपरी–सोनभद्र में प्रस्तावित कार्य सं0–06 को न किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में सादर अवगत कराना है कि नगर पंचायत पिपरी–सोनभद्र में वित्तीय वर्ष 2023–24 में आपके स्वीकृति आदेश दिनांक 06.09.2023 द्वारा निम्न विकास कार्य कराये हेतु वित्तीय एवं प्रशासनीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसके संदर्भ में नगर पंचातयत पिपरी–सोनभद्र के पत्र सं0–236/न0पं0पि0/2023–24/मैनुअल विधि निविदा दिनांक 23.09.2023 को मैअनुल विधि निविदा कराये हेतु विभिन्न कार्य प्रकाशित कराया गया था। महोदय उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि राज्य वित्त आयोग के मद से प्रस्तावित कार्य में से क0सं0–06 पर वार्ड नं0 02/09 में डोगिया जलाशय के टापू में फ्लोटिंग में जेट टी, साफ–सफाई लोहे के एगल जाली द्वारा बैरिकेटिंग एवं रगीन सीमेंटेड बेंच लगाये जाने के कार्य का मैनुअल विधि से कराने हेतु सूचना प्रकाशित किया गया था। वहॉ पर किसी भी प्रकार का कार्य नही हो रहा है, उक्त कार्य को आपके मौखिक आदेश पर रोक दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

a.i.M
03-11-2023

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत पिपरी
सोनभद्र

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष दाखिल ओ0ए0 नम्बर 176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य मे अपर मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन उ0प्र0 एंव प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट सोनभद्र की आख्या ।

रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत स्थित डोंगिया जलाशय पिपरी सोनभद्र के रिजर्व फारेस्ट मे नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन, चेयरमैन के रिश्तेदार तथा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पिपरी द्वारा जंगलो को कटवा कर अवैध कब्जा करने तथा वन, वन्यजीवो एवं जलीय जंतुओं के जीवन को उत्पन्न संकट आदि के संबंध मे श्री अजीत कुमार गुप्ता द्वारा रजिस्टर्ड डाक से दिनांक–19.02.2024 को माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित करते हुए नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन एवं अधिशासी अधिकारी तथा अन्य के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया ।

उक्त प्रार्थना पत्र के आधार परमा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या– 176/2024 दर्ज करते हुए दिनांक–10.05.2024 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। पारित किये गये आदेश एवं उसमे बनाये गये पक्षकार का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Padesh.
2-Principal Secretary Irrigation and Water Resources Development Department Government of Uttar Pradesh.
3-Principal Secretary Department of Environment, Forest and Climate Change Government Uttar Pradesh.
4-Divisional Forest Officer, Sonbhadra.
5-Uttar Pradesh State Pollution Control Board.
6-District Magistrate Sonbhadra.

ORDER

1- Mr. Ajit Kumar Gupta has sent by post to this Tribunal the present letter petition which has been treated and registered as O.A. No. 176/2024
2- The relevant part of the letter petition enumerating grievances of the applicants is reproduced as follows:-

विषयः– डोंगिया जलाशय पिपरी सोनभद्र के रिजर्व फारेस्ट मे नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन तथाE.O.(Executive Officer)द्वारा जंगलो को कटवा कर अवैध कब्जा करने तथा वन , वन्यजीवो एवं जलीय जंतुओ के जीवन को उत्पन्न आसन् संकट विषयक ।

महोदय,

निवेदन है कि डोंगिया जलाशय पिपरी, सोनभद्र का सम्पूर्ण हिस्सा रिजर्व फारेस्ट मे आता है तथा यहॉ धना जंगल है, जिसमे हिरण, तेंदुआ,साही ,भेंड़िया, मोर , लंगूर , बंदर तथा अन्य जंगली जानवरो का निवास स्थान है तथा डोंगिया जलाशय के जल मे मगरमच्छो का निवास है तथा पानी के बीच स्थित टापू पर मगरमच्छो का मिलन स्थल (Basking site) है । इस जगह पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा E.O.(Executive Officer)द्वारा अपने लोगो के साथ मिलकर रिवर्ज फारेस्ट के जंगल को चोरी छिपे कटवा कर स्वयं तथा अपने भाईयो और सम्बन्धियो द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। वन विभाग की जमीन पर नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष द्वारा अवैध कब्जा करके गौशाला का निर्माण भी किया गया है। वहॉ कई जगहो पर इनके भाइयो , मित्रो तथा रिश्तेदारो तथा सगे संबंधियो को भी इन्होने कब्जा करवाया है, जिसके लिए इनके उपर कई बार वन विभाग ने मुकदमा भी दर्ज कराया है । वर्तमान समय मे नगर पंचायत पिपरी अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह, कार्यकारी अधिकारी तथा इनके साथ के लोग मिलकर वन विभाग के रिजर्व फारेस्ट मे स्थित डोंगिया जलाशय तक जाने के लिये पेड़ो को काटकर सड़क चौड़ कर रहे है तथा डोंगिया जलाशय पर

हां पर व्यक्तिगत बोटिंग स्थापित करना चाहते है। तथा साथ ही साथ पानी के बीच स्थित एक टापू पर, जो से आच्छादित है पर भी पेड़ो की कटाई करवा के अवैध कब्जा कर रेंस्टोरेंट खोलने की कवायत चल रही है । लिए अपने लागो को भी रिवर्ज फारेस्ट मे अवैध रूप से बसाने हेतु जंगलो की कटाई इन लोगो द्वारा कराया जा है । इसके लिए वन विभाग पिपरी ने उनके ऊपर कार्यवाही भी किया है , लेकिन वन विभाग द्वारा किये जा रहे किसी भी कार्यवाही का उनके उपर कोई असर नही है। बल्कि नगर पंचायत पिपरी के अध्यक्ष दिग्विजय प्रताप सिंह स्वयं को जंगल का राजा व भू माफिया कहते है और एक दबंग प्रकार के व्यक्ति है। उनके इस प्रकार के क्रिया कलापो से वन, वन्यजीवो , जल–जीवो तथा मानव जीवन को भी खतरा है। वहॉ आये दिन अवैध कब्जे को लेकर जंगलो की अवैध कटाई होती रहती है तथा वन्य जीवो का शिकार भी किया जाता है । अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े मगरमच्छ को मार कर बड़े ही बेरहमी से उसका सिर, धड़ से अलग कर दिया गया जिसका पोस्टमार्टम वन विभाग पिपरी द्वारा कराया गया । इसके पूर्व शिकार कर के हिरण तथा मोर को भी मारा गया । इन सभी मृत जीवो की फोटे साथ मे संलग्न है तथा इसका पूर्ण विवरण वन विभाग पिपरी द्वारा प्राप्तकिया जा सकता है । लेकिन वहॉ (डोंगिया जलाशय पिपरी) पर नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन द्वारा अवैया कब्जा करने का प्रयास जारी है तथा पानी के बीच स्थित उक्त टापू पर जो मरगमच्छो का बास्किंग साइट है पर रेस्टोरेंट बनाने के लिए जिला प्रशासन तथा वन विभाग पर उसर से (शासन तथा सरकार को भ्रमित कर के तथा गलत सूचना के आधार पर) दबाव डलवाने का प्रयास किया जा रहा है । इसके साथ ही डोगिया जलाशय, रिहंद डैम काफी संवेदनशील एरिया है तथा काफी गहरा है ।

वहॉ की स्थिति को देखते हुए वहॉ पर्यटन को बढावा हेतु नौका संचालनकर रही संस्था ने भी 3 माह पूर्व ही लिखित रूप से जिला पर्यटन अधिकारी सोनभद्र को , वहॉ(डोंगिया जलाशय पिपरी मे) किसी भी पर्यटन सम्बन्धी क्रिया कलाप को न करने संबंधी अपना सुझाव/रिपोर्ट दिया था, जिसकी कापी साथ मे संलग्न है । उक्त संस्था द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र ने नौका संचालन तुरंत बंद करा दिया गया । वन विभाग पिपरी ने वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा को लेकर नगर पंचायत पिपरी के वर्तमान चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह, उनके भाई, मित्रो सम्बन्धियो तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के ऊपर भी किया है तथा केस भी काटा है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

FIR No. 155/2019
Sections(धाराए) -
1.5/26 of IFA-1927
2.3(2) of FCA 1980
3-27,29,39 D, Sec of WLPA 1972
4.3(2)s. of Public Property 1984
5.Sec 447 of IPC

अभियुक्त

1. अनिल सिंह पुत्र आर0पी0सिंह
2. दिग्विजय सिंह पुत्र शत्रुधन सिंह

आरोप पत्र संख्या –A-158 11/09/2019
मुकदमा संख्या–6001/2020
CJM Court Sonbhadra

कुछ प्राप्त FIR की कापी साथ मे संलग्न है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि डोंगिया जलाशय, रिहंद डैम का हिस्सा होने के कारण अति संवेदनशील है। उसकी सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए तथा वन, वन्य जीवो, जल–जीवो ,प्रकृति , पर्यावरण तथा मानव जीवन को उत्पन्न आसान संकट से बचाने हेतु वहॉ किसी भी प्रकार के पर्यटन संबंधित क्रियाकलापो तथा टापू पर नगर पंचायत द्वारा बनाए जाने वाले रेंस्टोरेंट को पूरी तरह से रोक देने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे । तथा साथ ही नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा उनके भाईयो, मित्रों तथा नगर पंचायत पिपरी के कार्यकारी अधिकारी के उपर अनुशासनात्मक व दंडात्मक कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा साथ ही जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग को भी वहॉ नौका बिहार तथा किसी भी प्रकार के पर्यटन विकास के कार्यो

...ल प्रभाव से बंद करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे, ताकि वन, वन्यजीव , जल जीव ...थ–साथ मानव जीवन, प्रकृति तथा पर्यावरण भी सुरक्षित हो सके ।

3- Prima facie, the avernments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments s[ecified in Schedule I to the National Green Tribunal At. 2010

4. In view of the averments in the application, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh , (2) Principal Secretary . Irrigation and Water Resources, Development Department of Environment, Forest and Climate Change , Government of Uttar Pradesh (4) Divisional Forest Officer, Sonbhadra, (5) Uttar Pradesh State Pollution Control Board, (6) District Magistrate, Sonbhadra who stand impleaded as respondents Non. 1 to 6 . The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1 to 6 through email requiring them to file their reply/response.

5.In view of the avernments made in the application, we also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, Se constitute a Joint Committee comprising of representatives of Principal Secretary, Irrigation and Water Resources Development Department, Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary, Department of Environment Forest and Climate Change , Government of Uttar Pradsh and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent , verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Uttar Pradesh Pollution Contorl Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6.Reply/response by respondents no 1 to 6 and Report of the Joint Committee be filed within two months through e-filing portal in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

7.List the matter for further consideration on 23.08.2024

8. A copy of this order be forwarded by e-mail to Principal Secretary Irrigation and Water Resources Development Department . Government of Uttar Pradesh, Principal Secretary Department of Environment , Forest and Climate Change. Government of Uttar Pradesh , Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board, District Magistrate, Sonbhadra and Divisional Forest Officer, Sonbhadra for requisite compliance.

...नीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष ...खिल ओ0ए0 नम्बर 176/2024 अजीत कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में वादी के कथन पर विभाग की स्थिति निम्नानुसार है :-

उ.प्र. सरकार द्वारा जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग में स्थित रिहन्द डैम एवं उससे सम्बन्धित प्रयोजनो हेतु निम्न विवरण के अनुसार भूमि हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी :-

क्रम सं0	हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	हस्तान्तरित भूमि का क्षेत्रफल (हे0मे0)	हस्तान्तरित भूमि मे सम्मिलित राजस्व ग्रामो का नाम	शासनादेश संख्या व दिनांक	अभ्युक्ति
1	673.00	272..4144	लभरी, मकरा एवं सेन्दूर	2021/एफ./23-87-एच.-47 दिनांक- 21.08.1948	सिंगरौली स्टेट से हस्तान्तरित भूमि
2	3285.00	1329..6903	पिपरी	629/सी-167-सी/1948 दिनांक- 26.01.1949	दुद्धी गार्वनमेन्ट स्टेट से हस्तान्तरित भूमि
3	2470.00	999.7976	रिहन्द जलाशय का डूब क्षेत्र	5588/14-687/1957 दिनांक-24.08.1957	वन विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि

<u>योग-6428 एकड़</u>(2601.9023हे0) (संलग्नक 1-3)

कार्य योजना वर्ष 1949-50 से 1963-64 तक के अनुसार, जमीन्दारी उन्मूलन के पूर्व शासनादेश संख्या- 369/1941 दिनांक- 18.12.1942 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम मे शासनादेश संख्या- 912/आई0सी0-32(21) सी0 1949 दिनांक- 15/16 मई 1950 द्वारा दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट की राजस्व विभाग के नियंत्रण मे स्थित समस्त भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी । **(संलग्नक -4)**

वन विभाग द्वारा वर्ष 1949-50 से 1963-64 तक के लिए दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट फारेस्ट डिवीजन द्वारा बनायी गयी कार्य योजना के अनुसार क्षेत्रफल को तीन क्लासों A, B & C में बांटा गया है:-

Class A Forests were those declared as fully reserved during the Settlement Operations of 1871-1876 and generally constituted of all the larger blocks of forests. **<u>Class B forests were declared as reserved in 1907 .</u>** While Class C protected forests were declare as such in 1919.
(संलग्नक -5(i-vi))

ग्राम-पिपरी की उक्त क्षेत्रफल 3285 एकड़ जो मुर्धवा वन ब्लाक क्षेत्रफल 12282 एकड़ का हिस्सा है जो Class- Bकैटेगरी के अन्तर्गत आता है तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 1965 की धारा-20 क के अन्तर्गत रखात (आरक्षित) वन भूमि की श्रेणी मे रहा।

भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश 1965 की धारा-20 कमें निम्न प्राविधान निहित है :- कतिपय वनभूमि या बंजर भूमि आरक्षित वन समझी जायेगी

(1) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में जिसमें, विलीन रियासत (विधि) अधिनियम 1949 या 1950 ई0 कर उत्तर प्रदेश विलीन रियासतों का (विधियों को लागू करने का) अधिनियम सम्मिलित है, या उसके अधीन जारी किये गये किसी आदेश में किसी बात के होते हुए भी, किसी विलीन रियासत की कोई वन भूमि या बजर भूमि, जो विलयन के दिनांक (जिसे इस धारा में आगे, उक्त दिनांक कहा गया है) के ठीक पूर्व:-

...के सम्बन्ध में शासक के अधिकार के अधीन रखे गये और कार्यान्वित किसी प्रशासकीय ... या किसी कार्ययोजना या रजिस्टर के अनुसार आरक्षित भूमि के रूप में कार्यवाही की गयी ...(संलग्नक–6)

चूँकि दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट की समस्त वन भूमि जो राजस्व विभाग के नियंत्रण में था उसे उ0प्र0 सरकार के आदेश संख्या– 912/आई0सी0–32(21) सी 1949 दिनांक– 15/16 मई 1950 द्वारा पूर्ण रूप से वन विभाग के मैनेजमेन्ट हेतु हस्तान्तरित कर दिया गया ।

उक्त आदेश जारी होने के उपरान्त नगर पंचायत पिपरी , तहसील–दुद्धी, जिला–सोनभद्र के गठन संबंधी विज्ञप्ति संख्या– 790टी/33–एम–57 दिनांक– 24 मार्च 1958 को जारी किया गया । (संलग्नक–7 (i-ii))प्रारम्भ में रिहन्द डैम बनने के दौरान कर्मचारी/ मजदूरों आदि के रहने हेतु सिचांई विभाग द्वारा यहाँ पर रिहायशी मकानों का निर्माण किया गया था जिसने समय के साथ टाउन का रूप ले लिया।

उपरोक्तानुसार दुद्धी स्टेट की समस्त वन भूमि वन विभाग को वर्ष 1950 मे प्राप्त होने के उपरान्त किसी भी भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कराने हेतु धारा–4 का विज्ञप्ति जारी कराया जाना आवश्यक होता है **इस हेतु विभाग द्वारा 12282 एकड़ क्षेत्रफल को भारतीय वन अधिनियम 1927 की विज्ञप्ति संख्या– 110/14–बी–779–55 दिनाक– 28.03.1966 द्वारा धारा–4 में मुर्धवा वन ब्लाक के नाम से विज्ञापन कराया गया जिसमे ग्राम–पिपरी की उक्त 3285 एकड़ भूमि सम्मिलित है** । जिसमें भारतीय अधिनियम 1927 की धारा 6 की विज्ञप्ति के उपरान्त माननीय न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी सोनभद्र के न्यायालय में वन बन्दोबस्त की कार्यवाही प्रचलित है(**संलग्नक –8 (i-vii)**

वादी के द्वारा वाद में जंगली जानवरों के हताहत होने के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि डोंगिया जलाशय पिपरी, रिजर्व फारेस्ट के आस–पास स्थित हिरण, तेंदुआ,साही ,भेंड़िया, मोर , लंगूर , बंदर तथा अन्य जंगली जानवरो का निवास स्थान है । तथा जलाशय के भीतर मगरमच्छ भी देखे गये हैं।

दिनांक 14.04.2023 को डोगिया नाला जलाशय के पास वन क्षेत्र मे एक मृत मादा चीतल का शव पाया गया । मृत मादा चीतल के शव का पोस्टमार्टम Veterinary Officer Veterinary Hospital Pipri Sonbhadraद्वारा दिनांक– 14.04.2023 को किया गया। पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट मे चीतल की मृत्यु का कारण किसी जंगली जानवर द्वारा मारा गया पाया गया ।उक्त के उपरान्त पिपरी रेंज द्वारा उसे दफना दिया गया । (**संलग्नक– 9–10 (i-ii)**

दिनांक 11.10.2024 को डोंगिया जलाशय के तट पर एक नर मगरमच्छ चट्टानो के बीच मे मृत अवस्था मे पाया गया । मृत मगरमच्छ को रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज द्वारा दिनांक– 11.10.2024 अपने कब्जे मे लेते हुए पशु चिकित्साधिकारी ,पिपरी–सोनभद्र ,डिबुलगंज–सोनभद्र एवं म्योरपुर –सोनभद्र के टीम द्वारा पोर्स्टमार्टम दिनांक–11.10.2023 को किया गया । उक्त के उपरान्त पिपरी रेंज द्वारा उसे दफना दिया गया ।(**संलग्नक–11 (i-ii)**

उपरोक्त उल्लिखित वन्य जीवों से सम्बन्धित किसी प्रकरण में नगर पंचायत पिपरी के चेयरमैन दिग्विजय प्रताप सिंह तथा इनके रिश्तेदार एवं E.O.(Executive Officer)द्वारा एवं किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचाये जाने का मामला प्रकाश मे नही आया है ।

नगर पंचायत द्वारा डोगिंया जलाशय पिपरी, वन क्षेत्र की सड़क चौड़ीकरण किये जाने का मामला प्रकाश मे आने पर दिनांक 03.01.2024 को श्री ओम प्रकाश दूबे पुत्र रामबहाल दूबे, अशलम पुत्र अलीम अली, राज कुमार पुत्र स्व0 लालता प्रसाद तथा श्री विजय पटेल पुत्र स्व0 प्रधुमन पटेलके विरुद्ध

...ार वैधानिक कार्यवाही करते हुए एच–2 केस संख्या 10/2023–24 दिनांक 03.01.224 इजरा ...गया है एवं कार्य को रोकवा दिया गया है।(संलग्नक– 12 (i-ii))

डोगिया जलाशय के टापू पर राज्य वित्त आयोग के अनुदान से वार्ड नम्बर 2/9 डोंगिया जलाशय के टापू मे फलोटिंग मे जेट टी, साफ सफाई लोहे के एंगल जाली द्वारा बैरिकेटिंग एवं रंगीन सीमेन्टेड बेंच लगाने आदि कार्यो हेतु (रू0 9.60 लाख) कार्यालय आदर्श नगर पंचायत पिपरी–सोनभद्र द्वारा मैनुअल विधि निविदा सूचना समाचार पत्र मे प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशन की जानकारी विभाग के संज्ञान मे आने पर पिपरी रेंज द्वारा नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी एवं ठेकेदारो को यह बताया गया कि प्रश्नगत क्षेत्र विशुद्ध रूप से रिजर्व वन भूमि है जिसमे कोई भी गैर वानिकी कार्य विना भारत सरकार के अनुमति से नही की जा सकती है । यदि प्रश्नगत रिजर्व वन भूमि मे नगर पंचायत पिपरी–सोनभद्र एवं उनके ठेकेदारो द्वारा विना भारत सरकार/सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये किया जाता है तो नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी। उसके उपरानत वहाँ कोई कार्य नही किया गया। (संलग्नक–13)

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2019 में सिचाई विभाग/विद्युत विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि पिपरी मे अवैध रूप से वृक्षो को काटकर अवैध सड़क निर्माण एवं लोहे की टिन लगाकर, गेट लगाकर अवैध कब्जा करने पर श्री प्रदीप कुमार सिंह उर्फ रानू पुत्र छोटेलाल सिंहएवं श्री विजय बहादुर यादव, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पिपरी सोनभद्र, श्री दिग्विजय सिंह पुत्र भात्रुधन सिंह, श्री अनिल कुमार पुत्र आर0पी0सिंह के विरूद्व एच–2 केस संख्या 19/2019–20 दिनांक 31.07.2019 एवं एफ0आई0आर संख्या 155/2019 दिनांक 01.08.2019दर्ज कराई गई। जिसमें मुकदमा संख्या 6001/2020 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक 01, मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष विचाराधीन है। **(संलग्नक–14–15 (i-ix))**

वर्ष 2019 में ही एक अन्य प्रकरण में सिचाई विभाग व विद्युत विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि मे नयी चारदीवारी बनाकर लोहे का गेट लगाकर अवैध अतिक्रमण करने पर अजय गुप्ता पुत्र राम किशोर गुप्ता,शिव प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पुत्र शत्रुधन सिंह के विरूद्व एच–2 केस संख्या 30/2019–20 दिनांक 17.10.2019 तथा एफ0आई0आर संख्या 184/2019 दिनांक 18.10.2019 दर्ज कराई गई। जिसमें मुकदमा संख्या/ 2082/2022 मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनभद्र के समक्ष विचाराधीन है।

(संलग्नक–16 (i-ii)&17 (i-ix))

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण मे वन अपराध के संज्ञानित होने पर उनके विरूद्ध उपरोक्तानुसार स–समय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी है ।

(डा0 भानेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

Annexure No.-D

संलग्नक - ग्यारह (11)

केस सं० रेंज केस सं० 10/2023-24 पिपरी रेंज/ 024

पृष्ठ सं० 15

वन विभाग – मिर्जापुर वृत्त, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट, जनपद – सोनभद्र

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5/26 (यथा संशोधित 2000) जिसके अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया

रेन्ज केस सं० 10/2023-24 दिनांक 03/01/2024 रेन्ज पिपरी

D.C.No. 100/10/2023-24

प्रपत्र H-1 का क्रमांक

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान — 1.) ओमप्रकाश दुबे S/o रामवहाल दुबे उम्र लगभग 40 वर्ष 2.) असलम S/o अलीम अली उम्र लगभग 38 वर्ष 3.) राजकुमार S/o स्व० ललिता प्रसाद उम्र लगभग 58 वर्ष 4.) विजय पटेल S/o स्व० प्रद्युम्न पटेल उम्र लगभग 50 वर्ष समस्त निवासीगण तुर्रा-पिपरी, थाना- पिपरी, सोनभद्र।

2. साक्षी का नाम स्वयं तथा कुतुबुद्दीन विश्वकर्मा (डाकिया)

3. कथित अपराध का पूर्ण विवरण और दिनांक 03/01/2024 — सिंचाई विभाग/जल विद्युत विभाग को हस्तांतरित वन भूमि पर (डोंगिया जलाशय वन क्षेत्र) बिना एन० ओ० सी० के नगर पंचायत पिपरी तथा उपरोक्त अभियुक्तों के द्वारा श्रमिकों से अवैध नई पक्की सड़क का निर्माण व चौड़ीकरण कार्य कराना।

4. मूल्य

5. तलाश और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन — जाँच जारी है।

डी० वन० अधि० पिपरी रेंज
कृ० आ० आवश्यक कार्यवाही हेतु ... राजेन्द्र सिंह डी० ... के माध्यम से प्रस्तुत करें
प्र०व०अ० रेनुकूट
[illegible]/1/24

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख — महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि आज दिनांक-03/01/2024 को समय लगभग 10:30 am पर अपने हमराही के साथ हस्तांतरित वन भूमि का गश्त कर रहा था तो देखा कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा डोंगिया जलाशय वन क्षेत्र के सड़क को अज्ञात श्रमिकों द्वारा दोनों किनारों से मिट्टी का खुदान कराकर गिट्टी भराने का कार्य तथा नई पक्की सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मेरे द्वारा उक्त अवैध कार्यों को बंद कराया गया तथा भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धारा में वैधानिक कार्यवाही करते हुए H_2 केस दर्ज किया अतः श्रीमान् जी की सेवा में प्रथम सूचनार्थ रिपोर्ट प्रेषित।

भवदीय
(ओम सिंह)
व० र०
रेनुकूट बीट
दिनांक - 03/01/24

संलग्नक - 12 (II)

सेवा में,
श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग रेणुकूट
सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Raghav
क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

श्री- छोटे लाल व० र०
के केस की अंतिम जाँच
रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर
जाँच कर प्रस्तुत करें।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
पिपरी रेंज
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट, सोनभद्र

74

[illegible] 19/2019-20 [illegible] सलंग्नक - 12

DC No. 81/19/2019-20 पृष्ठ सं० 26

15 पत्र–3

विभाग — मिर्जापुर वृत, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट, जनपद — सोनभद्र

भा० व० अ० 1927 की धारा 5/26 (उ०प्र० संशोधन 2000) एवं [illegible] 1980 की धारा 2 व 3 वन्य जीव संरक्षण अधि० 1972 की धारा 27, 29, 39 D व 51 एवं लोक सम्पत्ति

भारतीय वन अधिनियम की धारा क्षति निवारण अधि० 1984 की धारा 3(2)

जिसके अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया। रेन्ज केस सं० दिनांक 31-07-2019 रेन्ज पिपरी

प्रभागीय H-1 का कमांक

1- नाम, पिता का नाम और निवास स्थान

1- [illegible] कुमार सिंह [illegible] अधिशासी अभियन्ता [illegible] सिंचाई निर्माण [illegible] पिपरी सोनभद्र
2- [illegible] यादव [illegible] सोनभद्र
3- [illegible] सिंह [illegible] पिपरी सोनभद्र

2- साक्षी का नाम
1- स्वयं
2- श्री [illegible] कुमार [illegible]
3- श्री [illegible]
4- श्री दीपचन्द [illegible]

3- कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 31-07-2019

सिंचाई विभाग / विद्युत विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि पिपरी में अवैध रूप से [illegible] अवैध सड़क निर्माण करना। [illegible] 1986

4- मूल्य

~~[illegible] रेनुकूट वन प्रभाग~~
~~महोदय, [illegible] में आवश्यक कार्यवाही [illegible] अधिनियम [illegible] कष्ट करें।~~
31/07/19

5- चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन — जांच जारी है।

[illegible] रेनुकूट वन प्रभाग सोनभद्र

6- प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

महोदय, आज दिनांक 31-07-2019 को [illegible] उपरोक्त साथियों के साथ [illegible] पिपरी [illegible] सिंचाई निर्माण / विद्युत विभाग को हस्तान्तरित वन भूमि में उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा [illegible] 30-40 [illegible] लगभग 50 x 3 मी० में अवैध रूप से सड़क का निर्माण किया जा रहा है [illegible] अभियुक्त नं० 1 [illegible] अभियुक्त नं० 2 व 3 [illegible] अवैध रोड निर्माण [illegible] निर्माण में मिट्टी खुदान करके [illegible] नष्ट [illegible] अवैध निर्माण में प्रयुक्त [illegible] जब्त कर [illegible] तैयार किया गया।

[illegible] श्री [illegible] की सेवा में [illegible] प्रेषित है।

[illegible]
[illegible] कुमार
[illegible]
दि० 31-7-2019

संलग्नक: - 1- [illegible]

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

सलंग्नक - 15(I)

(1)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): सोनभद्र P.S. (थाना): पिपरी Year (वर्ष): 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0155 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 01/08/2019 14:10 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय वन अधिनियम, 1927	5
2	भारतीय वन अधिनियम, 1927	26
3	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	3B
4	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	27
5	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	29
6	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	39(D)
7	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	51
8	सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	3(2)(क)
9	भा दं सं 1860	447

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

संलग्नक-15(ग)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

1 Day (दिन): बुधवार

Date from (दिनांक से): 31/07/2019

Date To (दिनांक तक): 31/07/2019

Time Period (समय अवधि): पहर 5

Time From (समय से): 15:00 बजे

Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 01/08/2019

Time (समय): 14:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 027

Date and Time (दिनांक और समय): 01/08/2019 14:10 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 01 कि. मी.

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): वार्ड नं0 10 तुर्रा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): संजीव कुमार वन रक्षक

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1981

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

संलग्नक - 15 (III)

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	रेनुकूट बीट, पिपरी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	रेनुकूट बीट, पिपरी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9838708806

15(B)

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार		पिता का नाम : आर0पी0 सिंह	1. सी0 295,स्थाई थाना पिपरी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
2	दिग्विजय सिंह		पिता का नाम : शत्रुधन सिंह	1. न्यू मार्केट तुर्रा,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
3	विजय बहादुर यादव अधिशासी अधिकारी			1. नगर पंचायत पिपरी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत
4	प्रदीप सिंह	रानू	पिता का नाम : छोटेलाल सिंह	1. सी-300,स्थाई सिचाई विभाग कालोनी,पिपरी,सोनभद्र,उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.

Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

15 (ग)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में थानाध्यक्ष थाना पिपरी महोदय, कल दिनांक 31.07.2019 को समय लगभग 03.00 सायं तुर्रा पिपरी वार्ड नं0 10 मे सिचाई विभाग / विद्युत विभाग S/O आर0पी0 सिंह हाल मुकाम सी-295 स्थाई थाना पिपरी सोनभद्र द्वारा अवैध रुप से वृक्षो को कटान कर झांडी झंखाडी साफ कर लगभग 15 विस्वा मे खूटा खम्भा गांडकर लोहे की टिन लगाकर गेट लगाकर अवैध कब्जा किया जा रहा था मामले की गम्भीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियो को मोबाइल फोन द्वारा सूचित किया तथा पुलिस विभाग को भी सूचित किया उच्चधिकारियो व श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा उ0क्षे0व0 अधिकारी पिपरी दीपचन्द वन दरोगा पिपरी रैंज श्री शैलेन्द्र कुमार विमल वनरक्षक आदि अधिकारियो के मौके पर पहुंचते ही अभियुक्त मौके से भाग गया । अतिक्रमण हेतु लगाये गये सामान को जब्त कर अपने कब्जे मे लेते हुए रेज परिसर लाया । पास मे ही दिग्विज सिंह S/O शत्रुधन सिंह न्यू मार्केट तुरा पिपरी सोनभद्र, विजय बहादुर यादव अधिशासी अधिकारी नगर पंचांयत पिपरी सोनभद्र व प्रदीप सिंह उर्फ रानू S/O छोटेलाल सिंह हाल मुकाम सी- 300 स्थाई सिंचाई विभाग कालोनी थाना पिपरी सोनभद्र द्वारा हस्तांतरित वन भूमि मे अवैध रुप से सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था । इनके द्वारा वन भूमि मे अवैध रुप से सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था । इनके द्वारा वन भूमि मे अवैध रुप से वृक्षो का कटान कर अतिक्रमण करने पर घटना स्थल से गैता तगाड़ी एवं प्रकाष्ठ बरामद कर अपने कब्जे मे लेकर रेंज कार्यालय परिसर लाया । लोक सम्पत्ति को काफी क्षति पहुचायी गयी है भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 5/26 (उ0प्र0संशोधन 2000) एवं वन संरक्षण अधि0 1980 की धारा 3(2) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27, 29, 39D व 51 एवं लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3(2)क एवं IPC CRPC एवं अन्य सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत FIR दर्ज करने की कृपा करे । जब्त सामग्री को रेज कार्यालय रखा गया है . भवदीय संजीव कुमार (संजीव कुमार) वनरक्षक रेनुकूट बीट दिनांक 1.08.2019 मो0 9838708806 नोटः- मै का0मु0 राकेश चौरसिया प्रमाणित करता हूं कि तहरीर की नकल शब्द व शब्द अंकित किया गया ।

3.

15 (VII)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): KAMLA PRASAD Rank (पद): उपनिरीक्षक/अवर निरीक्षक

No. (सं.): 822090193 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

Name (नाम): MOOL CHANDRA CHAURASIYA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 012090062

Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1984		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1984		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	1983		-		चेचक: नहीं
4	पुरुष	1987		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

Annexure No.-E

सा०क्र०-09

पुस्तक सं० 024 रेन्ज केस सं० 1/2023-24 पिपरी रेन्ज। पी०ओ०आर० 01/01/2023-24 पृष्ठ सं० 09

वन विभाग – मिर्जापुर वृत्त, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट, जनपद – सोनभद्र

भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की धारा – 9/51 जिसके अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया

रेन्ज केस सं० 01/2023-24 दिनांक – 14/04/023 रेन्ज पिपरी

प्रपत्रीय H-1 का क्रमांक

---

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान – अज्ञात

2. साक्षी का नाम – श्री कुलदीप विश्वकर्मा (श्रमिक)

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और – जाँच जारी है
दिनांक – 14/04/023
डोमिया नाला जलाशय के पास वन क्षेत्र में एक मृग मादा चीतल का शव पाया गया।

4. मूल्य

क्षे०व०अ० पिपरी रेन्ज
कृ० आरोप जाँच रिपोर्ट उ० प्र० व०
पिपरी के माध्यम से प्रस्तुत करें।
प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश

5. चालान और अनुसंधान (इन्वेस्टिगेशन) – जाँच जारी है
के सम्बन्ध में विशेष कथन

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण
आदि का उल्लेख

महोदय,
निवेदन है कि आज दि० 14/04/2023 को समय लगभग 11:00 a.m. में उपरोक्त श्रमिक के साथ डोमिया नाला वन क्षेत्र का गश्त कर रहा था। गश्त के दौरान उक्त स्थल पर एक मृग मादा चीतल का शव पाया गया जिसका आधा पिछला भाग किसी जंगली जानवर द्वारा खाया हुआ प्रतीत हो रहा है। चीतल की गर्दन पर जंगली जानवरों के स्पष्ट दाँतों के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। मौके पर मृत मृग चीतल के शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर फर्द बरामदगी बनाई गई। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 धारा 9/51 के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए मृग चीतल का शव विच्छेदन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः श्रीमान जी की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
(ओम सिंह)
वन रक्षक
रेनुकूट बीट
दि० – 14/04/023

प्र० क्षे०
आवश्यक कार्यवाही।
क्षे०व०अ०
रेनुकूट
15-04-2023

संलग्नक -10(I)

POST MORTEM REPORT

1. Name & Address of owner ...Range forest officer Pipri Pipri Sonbhadra Renukoot forest division + Sonbhadra. U.P

2. Animal Chital ....Sex Female ...Age about 10 years Breed —

Colour Description... golden-yellow with white spots. Tag no. N.A.

3. Date & Time of Death (Approx) 12.04.2023, around 6 or 7 PM.

4. Date & Time of P.M. 14/04/2023, 11:30 AM.

5. History of previous disease... N.A.;

6. General Condition of Animal. Carcass maggotted, half eaten, partially putrefied.

7. Condition of Rigor Mortis... Passed out.

8. Eye, Ear & Nose... Eye balls bulged out, shrunken & maggot infected.

9. Mouth & Tongue. infested with maggots & flies.

10. Skin hide... putrefied with hairs loosening out.

11. Discharge from natural Orifices... Non-significant.

12. Lymph Nodes... Not available, and putrified.

13. Condition of Thoracic Cavity... No vital organs present.

14. Diaphragm & Pleura... Not seen, eaten by wild animals.

15. Lungs... Not present.

16. Heart & Pericardial Sac... Not present.

17. Condition of Abdominal Cavity... Ruminal content dispersed, No organs seen.

18. Rumen... Not present

19. Reticulum, Omasum & Abomasum... Not present

P.T.O.

संलग्नक - 10 (II)

Large Intestine............Not present
Small Intestine............Not present.
22. Liver ....Not present.
23. Gall Bladder ....Not present
24. Spleen ....Not present
25. Kidney ....Not present
26. Condition of Genital Organs ....Not present
27. Condition of Urinary system ....Not present.
28. Brain ....autolysed
29. Any other Remark Dorsal side of neck have teeth marks of some wild animal. (again infested with maggots).
30. Opinion about Death............
Based on circumstances and available carcass parts it seems a wild kill.

Date: 14/04/2023.

Veterinary Officer
14/04/2023

Veterinary Officer
Veterinary Hospital
Pipari, Sonebhadra

(1C)

POST MORTEM REPORT

1. Name & Address of owner ... Divisional forest officer, Renukoot forest division, Renukoot, Sonbhadra, U.P.

2. Animal ... Mugger Crocodile (Crocodylus palustris) Sex ... Male ... Age ... Senile ... Breed ... N.A. [illegible]

Colour Description ... dark olive to grey ... Tag no. ... N.A.

3. Date & Time of Death ... Carcass seems more than 72 hours old.

4. Date & Time of P.M. ... 11.10.2023, 08:00 am.

5. History of previous disease ... N.A.

6. General Condition of Animal ... Putrified extremities, autolysed body organs, [illegible] dorsal skin intact, submerged ventral surface was slimy with adipocere [illegible]

7. Condition of Rigor Mortis ... ~~R.M. passed out, liver mortis [illegible] aspects present~~

8. Eye, Ear & Nose ... Extremities were disintegrated possibly due to hacks on shore [illegible] current or waves of water

9. Mouth & Tongue ... ~~Putrefied & disintegrated~~

10. Skin/hide ... Post mortem cutaneous abrasions on last 8th & 9th scutes. No signs of antemortem injuries.

11. Discharge from natural Orifices. ~~[illegible] was protruded out of cloaca~~ whose walls were swelled after putrefaction.

12. Lymph Nodes ... Putrefied.

13. Condition of Thoracic Cavity ... Autolysed

14. Diaphragm & Pleura ... Autolysed.

15. Lungs ... Autolysed

16. Heart & Pericardial Sac ... Autolysed

17. Condition of Abdominal Cavity ... Putrefied & autolysed.

18. Rumen ... N.A.

19. Reticulum, Omasum & Abomasum ... N.A.

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 1P (II) (8)

Large Intestine........ Mostly autolysed.

Small Intestine. Major part of the small autolysed.

22. Liver .... Autolysed.

23. Gall Bladder .... N.A.

24. Spleen .... N.A.

25. Kidney .... Autolysed

26. Condition of Genital Organs Phallus protruded out of cloaca, partially autolysed.

27. Condition of Urinary system .... Autolysed.

28. Brain .... Autolysed & disintegrated

29. Any other Remark Vital organs were autolysed. Extremities deformed due to presence water current & rocks at the site of finding of carcass.

30. Opinion about Death In our opinion cause of death could not be ascertain due to autolysis of vital organs.

Date: 11th oct 2023.

Veterinary Officer

11/10/2023.
Veterinary Officer
Veterinary Hospital
Pipari, Sonebhadra

11/10/2023
पशु चिकित्साधिकारी
[illegible]

11/10/2023
पशु चिकित्साधिकारी
[illegible]